यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) I,राज्य कर हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) I,राज्य कर हल्द्वानी के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2018 से 07.09.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.12.2017 से 18.12.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ट्रेडिंग ठेकेदार कार्य**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	10723.89
2016-17	11147.83
2017-18	4874.79

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**	**व्यय राशि (₹)**	**अवशेष/समर्पण (₹)**
2015-16			
2016-17	**लागू नहीं**		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2(क)</u>

<u>प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 9.59 लाख</u>

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा - 10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म - सी के विरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद किये जाने पर उस वस्तु पर आरोपणीय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कoनिo) -I राज्यकर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि निम्नलिखित 02 व्यापारियो द्वारा फार्म - सी जारी करके प्रान्त के बाहर से ₹ 29,75,607/- के "Table spread" तथा ₹ 47,57,433/- के "Wiremesh" का रियायती दर पर क्रय किया गया था| जबकि केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यौवहारी उक्त वस्तु की प्रपत्र - सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था | अत: केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत Table Spread की खरीद पर अर्थदण्ड ₹ 602560(2975607 x 13.5% x 1.5) एवं wiremesh खरीद पर अर्थदण्ड ₹ 356807 (4757433 x5% x1.5) कुल ₹ 9,59,367/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था|
(सूची संलगन)

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा नियामानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

सूची

Invoice wise list of Inter-state purchase against Form 'C'

क्रमांक सं	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	फार्म – सी संख्या	इन्वोइस संख्या	वस्तु का नाम	धनराशि
1.	सर्वश्री ए० आर० एंड संस, हल्द्वानी	2013-14	963798	697,709,744, 762,793,819, 848,869,884, 897,912	Table Spread	658702
			963799	405,414,433, 469,490,511, 522,546,584, 611,637,666, 681	Table Spread	705197
			963800	182,198,213, 222,239,242, 259,269,299, 316,333,343, 357,372,391	Table Spread	600393
			963801	13,25,36,58, 67,80,95,106, 118,123,149, 159,168	Table Spread	463756
			0003635	5,21,48,86,10 2,126,143,16 7,190,210,22 6,253	Table Spread	547559
		योग				2975607
2.	सर्वश्री उत्तराखंड स्टोन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बरेली रोड हल्द्वानी	2103-14	1018762	672	Wiremesh	328278
			1018763	09	Wiremesh	88398
			1018764	56,87	Wiremesh	377196
			1018765	9,28	Wiremesh	302532
			963469	357	Wiremesh	62000
			963470	118,182	Wiremesh	386960
			963471	108,124	Wiremesh	274500
			963472	118	Wiremesh	228960
		2014-15	4677338	133	Wiremesh	533503
			965057	40	Wiremesh	614394
			965058	775	Wiremesh	461915
			965059	66,67,68,159	Wiremesh	1098797
					योग	**4757433**
					महायोग	**7733040**

भाग 2(क)

प्रस्तर स-02 कर का न्यूनारोपण ₹ 24.90 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–I** राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एमo आरo टेक्नोक्रैट कंपनी काठगोदाम नैनीताल कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्यापारी का कर निर्धारण स्वत: कर निर्धारण योजना के तहत किया गया था| व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में **Earthmovers / excavators** की बिक्री ₹ 2,92,98,423/- प्रदर्शित करते हुए उस पर 5% की दर से कर देयता स्वीकार की गई थी| व्यापारी की पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया की व्यापारी द्वारा वास्तव में **BACHOE LOADER** की खरीद बिक्री की जा रही थी जो कि कार्यालय आयुक्त कर द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2009 को धारा 57 के तहत दिए गये निर्णय के अनुसार अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था|

इस प्रकार सम्बंधित प्रकरण में 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 2,92,98,423/- के **BACHOE LOADER** की बिक्री पर ₹24,90,366/- के कर का न्यूनारोपण हुआ था| इस पर 15**%** प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरान्त नियामानुसार कार्यवाही कर सूचित कर दिया जायेगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2(ख)</u>

<u>प्रस्तर स-0</u>1 **<u>अर्थदण्ड का अनारोपण ₹</u>** 8.27 **<u>लाख</u>**|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–** । राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि **02** व्यापारी द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि **₹ 8274104**/- को विलंब से जमा किया गया था (विवरण संलगन)।

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार **₹ 827410**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो कि विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित कर दिया जायेगा|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (₹ में)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (कर का 10%) (₹ में)
1.	**सर्वश्री उत्तराखंड स्टोन प्रोडक्ट, हल्द्वानी टिन: 05001417680**	**2013-14**	04/2013	25.05.2013	28.05.2013	1136461	113646.1
			05/2013	25.06.2013	02.07.2013	1961730	196173.0
			06/2013	25.07.2013	30.07.2013	1388628	138862.8
2.	**सर्वश्री उत्तराखंड स्टोन प्रोडक्ट, हल्द्वानी टिन: 05001417680**	**2014-15**	07/2014	20.08.2014	26.09.2014	1455830	145583.0
			10/2014	20.11.2014	28.11.2014	2331455	233145.5
		TOTAL				**8274104**	**827410.40**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-15/2005-06		01	
CT-04/2006-07		01	
CT/23/2007-08	01,02	01,02,03,04,05	
CT-32/2010-11	01,02	0102	
CT-58/2011-12	01,02	01	
CT-29/2012-13	01	02	
CT-09/2013-14		01,02	
CT-44/2014-15		01,04	
CT-24/2015-16		01,02,03	
CT-45/2016-17	01,02		
CT/113/2017-18		01,02,03	
SR/11/17/2004-05		01,02	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री राहुल वर्मा	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) I, राज्य कर हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र